भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1254

उत्तर देने की तारीख-11/12/2023

शैक्षिक रूप से चिह्नित किए गए पिछड़े जिले

†1254 श्री संजीव कुमार शिंगरी:
श्री एन. रेड्डप्प:
श्री रामशिरोमणि वर्माः
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों की पहचान की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) विगत दो वर्षों के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) इस संबंध में निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर में शैक्षिक रूप से पिछड़े गांवों/कस्बों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में, की भी पहचान की है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ङ) सरकार ने हाल ही में शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए **2023-24** से **2025-26** की अवधि हेतु **12926.10** करोड़ रुपये के परिव्यय के

साथ प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम- ऊषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। पीएम-उषा के तहत फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। इन फोकस जिलों की पहचान संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कम सकल नामांकन अनुपात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि जैसी वंचित श्रेणियों के अनुपात सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है। इस योजना में विभिन्न घटकों जैसे बहु-अनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान (मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय), कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान (मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेज), नए मॉडल डिग्री कॉलेज और जेंडर समावेशन और समता पहलों के तहत सहायता के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता में सुधार की परिकल्पना की गई है। पिछले दो वर्षों (**2021-22** और **2022-23)** के दौरान, असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों सहित रुसा के पिछले चरणों के तहत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को **608.63** करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

(च) और (छ): आज की तारीख तक, उत्तर प्रदेश राज्य ने **38** फोकस जिलों की पहचान की है।तथापि, राज्य द्वारा श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

*****